




राज्यपाल (भाग 3)





राज्यपाल

(भाग-III)

राष्ट्रपति- अनुच्छेद 52-78 (भाग V); राज्यपाल- अनुच्छेद 153-167 (भाग VI)

राज्यपाल व राष्ट्रपति-समानताएँ

समानता का बिंदु	विशेषताएँ
प्रमुख	♦ दोनों अपने स्तर पर नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख (संवैधानिक/शीर्षक प्रमुख) हैं
अध्यादेशों का प्रख्यापन	♦ दोनों के पास यह शक्ति है (अनुच्छेद 123- राष्ट्रपति; अनुच्छेद 213- राज्यपाल)
सिविल और आपराधिक कार्यवाही	♦ दोनों कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त हैं; गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता। ♦ 2 महीने का नोटिस देकर सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
पुनर्नियुक्ति/पुनर्निर्वाचन	♦ दोनों एक ही कार्यालय में पुनर्नियुक्ति/पुनर्निर्वाचन के पात्र हैं
नियुक्ति अधिकारी	♦ जिस प्रकार राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियाँ करता है वैसे ही राज्यपाल राज्य स्तर पर नियुक्ति करता है (लोक सेवा आयोग के सदस्य, न्यायालयों के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त आदि)।
विधानमंडल में भूमिका	♦ राज्य/संघ विधानमंडल को आहूत करने या सत्रावसान करने और राज्य विधानसभा/लोकसभा को भंग करने की शक्ति
वित्तीय शक्तियाँ	♦ राज्य/संघ स्तर पर वित्त आयोग का गठन करना
परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्ति	♦ प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की नियुक्ति (प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की मृत्यु के मामले में या जब किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है) ♦ मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी ♦ लोकसभा/राज्य विधायिका को भंग करना

राज्यपाल बनाम राष्ट्रपति

अंतर का बिंदु	राष्ट्रपति	राज्यपाल
निर्वाचन	अप्रत्यक्ष चुनाव	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
प्रसादपर्यंतता का सिद्धांत	प्रसादपर्यंतता के सिद्धांत की कोई अवधारणा नहीं	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बना रहता है
अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा	किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है	भूमिका सलाह/परामर्श के अधीन
संविधान में संशोधन	विधेयक पर इसकी सहमति आवश्यक है	संविधान संशोधन में कोई भूमिका नहीं
क्षमादान शक्ति	मृत्युदंड की सजा/कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है	मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता; सैन्य मामलों में कोई भूमिका नहीं
संवैधानिक विवेकाधिकार	कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं	किसी विधेयक को सुरक्षित रखने, राष्ट्रपति शासन लगाने और किसी निकटवर्ती केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन के संदर्भ में संवैधानिक विवेकाधिकार
महाभियोग की स्थिति	संविधान का उल्लंघन	कोई आधार निर्धारित नहीं

जवाहरलाल नेहरू



पंडित जवाहरलाल नेहरू

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री

जन्म

14 नवंबर, 1889 को इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश में

मृत्यु

27 मई, 1964

स्वतंत्रता-पूर्व योगदान

- ◆ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव 1923
- ◆ वर्ष 1929-31 के दौरान, 'मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति' संकल्प का मसौदा तैयार किया
- ◆ वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया
- ◆ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर (1929) और लखनऊ सत्र (1936) की अध्यक्षता की।
- ◆ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही (1940) (प्रथम-विनोबा भावे)
- ◆ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन (1942) में 'भारत छोड़ो' आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया।
- ◆ सात बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए (1954 तक)

स्वतंत्रता के बाद का योगदान

- ◆ उद्देश्य संकल्प (संविधान का मसौदा तैयार करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत) प्रस्तुत किया गया
- ◆ प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करके औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया
- ◆ गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)- उनकी सबसे बड़ी भू-राजनीतिक उपलब्धि
- ◆ लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया
- ◆ सेना पर संसदीय सर्वोच्चता स्थापित की (भारत को एक और जुंटा सैन्यशासित तीसरी दुनिया निरंकुशता से रोका)
- ◆ निम्नलिखित की आधारशिला रखी:
 - ◆ भारत की अंतरिक्ष विजय के लिये वैज्ञानिक आधार
 - ◆ दोहरे ट्रैक वाले परमाणु कार्यक्रम

प्रसिद्ध भाषण

- ◆ नियति से साक्षात्कार (Tryst with Destiny)

पुस्तकें

- ◆ डिस्कवरी ऑफ इंडिया
- ◆ एन ऑटोबायोग्राफी
- ◆ ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री
- ◆ लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर

भारत के शहरी बुनियादी ढाँचे हेतु वित्तपोषण

प्रलम्ब के लिये:

वशिव बैंक, शहरी स्थानीय निकाय, स्मार्ट सटीज मशिन (SCM), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

मेन्स के लिये:

शहरीकरण और संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [वशिव बैंक](#) द्वारा "फाइनेंसिंग इंडियाज़ अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स: कंस्ट्रेंट्स टू कमरशियल फाइनेंसिंग एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पॉलिसी एक्शन" शीर्षक से रपॉर्ट जारी की गई।

- यह रपॉर्ट उभरती हुई वित्तीय कमियों को पूरा करने के लिये नजि और वाणजियिक नविशों का अधिक लाभ उठाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

प्रमुख बडि

- नविश की आवश्यकता:**
 - अगर भारत को अपनी तेज़ी से बढ़ती शहरी आबादी की ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है तो उसे अगले 5 वर्षों में शहरी बुनियादी ढाँचे में 840 अरब अमेरिकी डॉलर का नविश करने की आवश्यकता होगी।
- शहरों में रहने वाले लोग:**
 - वर्ष 2036 तक 600 मिलियन लोग भारत के शहरों में रह रहे होंगे, जो जनसंख्या का 40% प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - इससे स्वच्छ पेयजल, वशिवसनीय वदियुत् आपूर्ति, कुशल और सुरक्षित सड़क परिवहन आदि की अधिक मांग के साथ भारतीय शहरों की शहरी अवसंरचना और सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है।
 - वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें शहर के बुनियादी ढाँचे में 75% से अधिक का वित्तपोषण करती हैं, जबकि शहरी स्थानीय निकाय (ULB) अपने स्वयं के अधिशेष राजस्व के माध्यम से 15% का वित्तपोषण करते हैं।
 - वर्तमान में भारतीय शहरों की बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों का केवल 5% ही नजि स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।
- केंद्र के प्रमुख शहरी मशिनों का धीमा कार्यान्वयन:**
 - उदाहरण के लिये स्मार्ट सटीज मशिन (SCM) और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसे केंद्र के कई प्रमुख शहरी मशिनों पर राज्यों एवं शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा धीमा कार्यान्वयन प्रदर्शन भी चर्चा का विषय है, क्योंकि इससे शहरी स्तर पर कार्यान्वयन क्षमता बाधित होती है।
 - ULB ने अब तक पूरे भारत में पछिले छह वित्तीय वर्षों में SCM (कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मशिन (AMRUT) के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के संचयी लागत या परवियय का लगभग पाँचावाँ हिस्सा ही नषिपादित किया है।
- शहरी अवसंरचना हेतु PPP अंतरण:**
 - भारत में शहरी बुनियादी ढाँचे के लिये सार्वजनिक-नजि भागीदारी (PPP) अंतरण ने पछिले दशक में मौद्रिक मूल्य और अंतरण की मात्रा दोनों में एक उल्लेखनीय गतिवृद्धि दर्ज की है - वर्ष 2000 से शहरी क्षेत्र में 124 PPP परियोजनाओं को कुल 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण किया गया है।
 - हालाँकि PPP परियोजना वित्तपोषण में वर्ष 2007 और 2012 के बीच "संकषित लेकिन पर्याप्त वृद्धि" के बाद काफी गतिवृद्धि आई है, जब इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को सम्मानित किया गया था। वर्ष 2000 के बाद से प्रदान किये गए सभी PPP नविशों में से केवल एक-तहार्ड नविश पछिले दशक में हुआ जिसमें 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 55 परियोजनाएँ शामिल हैं।

सुझाव:

- यह सुझाव दिया गया है कि शहरी एजेंसियों को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिये और अधिक अधिकार प्रदान किये जाए।
 - पछिले तीन वित्तीय वर्षों में दस सबसे बड़े ULB के पूंजीगत बजट का केवल दो-तहार्ड खर्च किया जा सका।
- यह रपॉर्ट मध्यम अवधि के लिये कई संरचनात्मक परिवर्तनों की सफारिश करती है, जिसमें राजकोषीय हस्तांतरण प्रणाली और कराधान नीति शामिल हैं।
 - यह शहरों को अधिक नजि वित्तपोषण का लाभ उठाने में मदद कर सकती है।
- इसने शहरों के लिये फॉर्मूला-आधारित तथा बिना शर्त वित्त अंतरण के साथ-साथ शहरी एजेंसी के अधिदेश के प्रगतशील वस्तितार का सुझाव दिया।

शहरीकरण:

■ परचिय:

- जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या में तदनु रूप गरिवट और जसि प्रकार से समाज इस परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को ढालता है, समग्र रूप से इसे [शहरीकरण](#) कहा जाता है।

■ शहरीकरण के कारण:

- **प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि:** यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मृत्यु दर की तुलना में जनम दर अधिक होती है।
- **ग्रामीण से शहरी प्रवास:** यह ऐसे कारणों जो लोगों को शहरी क्षेत्रों में आकर्षित करते हैं और ऐसे कारणों जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से दूर भगाते हैं, से प्रेरित है।
 - रोजगार के अवसर, शैक्षणिक संस्थान और शहरी जीवन-शैली मुख्य आकर्षण के कारक हैं।
 - साथ ही रहने की खराब स्थिति, शैक्षणिक और आर्थिक अवसरों की कमी तथा खराब स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ मुख्य कारक हैं।

■ वैश्विक शहरीकरण:

- सबसे अधिक शहरीकृत क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका (2022 तक शहरी क्षेत्रों में 83% आबादी), लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (81%), यूरोप (75%) तथा ओशनिया (67%) शामिल हैं।
- एशिया में शहरीकरण का स्तर लगभग 52% है।
- अफ्रीका का परिवेश अधिकांशतः ग्रामीण है, इसकी 44% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है।

■ संबंधित पहल:

- शहरीकरण के लिये भारत की पहल:
 - शहरी विकास से संबंधित योजनाएँ/कार्यक्रम:
 - [स्मार्ट शहर](#)
 - [अमृत मशिन](#)
 - [स्वच्छ भारत मशिन-शहरी](#)
 - [हृदय योजना](#)
 - [प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी](#)
 - [सुलभ वासियों/शहरी गरीबों के लिये सरकार की पहल:](#)
 - [प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना](#)
 - [आत्मनिर्भर भारत अभियान \(आत्मनिर्भर भारत\)](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया से उत्पन्न वभिन्न सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कीजिये। (2013)

प्रश्न. भारत में शहरी जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ 'स्मार्ट सटी कार्यक्रम' के उद्देश्यों और रणनीति को पेश कीजिये। (2016)

[स्रोत: द हट्टि](#)

भारत की शुद्ध शून्य उत्सर्जन रणनीति

प्रलिमिंस के लिये:

पेरिस समझौता, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (COP 27), राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC), शुद्ध शून्य, इथेनॉल सम्मिश्रण, हाइड्रोजन ईंधन, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मशिन, जैव ईंधन

मेन्स के लिये:

पेरिस जलवायु समझौता और इसके प्रभाव।

चर्चा में क्यों?

शर्म अल-शेख, मसिर में पार्टियों के वर्तमान 27वें सम्मेलन (COP27) में भारत ने हाल ही में [जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन \(UNFCCC\)](#) के लिये अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की।

India's road to 'net zero'

At COP-27, India announced its long-term strategy to transition to a 'low emissions' pathway to become carbon neutral by 2070

KEY MILESTONES

- The National Hydrogen Mission, launched in 2021, aims to make India a green hydrogen hub
- At least a three-fold increase in nuclear capacity by 2032
- Achieving an ethanol blending target of 20% by 2025

- Maximising the use of electric vehicles, increase public transport
- Increased climate finance to be provided by developed nations
- The long-term strategy aims at keeping global temperatures well below 2 degrees Celsius and, ambitiously, 1.5 degrees Celsius by the century-end



Environment Minister Bhupender Yadav at the COP-27 summit in Egypt on Monday. REUTERS

दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति:

- यह (LT-LEDS) रणनीति प्रकृति में गुणात्मक है और [2015 के पेरिस समझौते](#) द्वारा इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
 - पेरिस समझौते के अनुसार, राष्ट्रों को यह स्पष्ट करना चाहिये कि अपने केवल अल्पकालिक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के लक्ष्य को प्राप्त करने के अलावा वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार बदलेंगे ताकि वे वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कटौती के बड़े जलवायु उद्देश्य की दशा में काम कर सकें और वर्ष 2050 के आसपास शुद्ध शून्य तक पहुँच सकें।
- यह रणनीति चार प्रमुख विचारों पर आधारित है जो भारत की दीर्घकालिक नमिन-कार्बन विकास रणनीति का आधार हैं।
 - भारत का [ग्लोबल वार्मिंग](#) में बहुत कम योगदान है, विश्व की आबादी का 17% हिस्सा होने के बावजूद संयुक्त वैश्विक [ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन](#) में ऐतिहासिक रूप से भी इसका योगदान बहुत कम रहा है।
 - भारत को विकास के लिये काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है।
 - भारत अपने विकास हेतु नमिन-कार्बन रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय रूप से उनका अनुसरण कर रहा है।
 - भारत को जलवायु अनुकूल प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है।
- LT-LEDS भी [LiFE, पर्यावरण के लिये जीवन शैली](#) दृष्टिकोण से प्रभावित है।
 - LiFE का विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन-शैली को बढ़ावा देता है जो 'विकहीन और व्यर्थ खपत' के बजाय 'सावधानी के साथ एवं सुविचारित उपयोग' पर केंद्रित है।

एलटी-एलईडी (LT-LEDS) की विशेषताएँ:

- यह रणनीति ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में [राष्ट्रीय संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी](#)।
 - इसमें जीवाश्म ईंधनों का संक्रमण एक न्यायसंगत, सुचारू, टिकाऊ और सर्व-समावेशी तरीके से किया जाएगा।
- यह रणनीति [जैव ईंधन के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देगी](#), विशेष रूप से पेट्रोल में [इथेनॉल मशरूम](#), इलेक्ट्रिक वाहन प्रवेश बढ़ाने के लिये अभियान और [हरित हाइड्रोजन ईंधन](#) के बढ़ते उपयोग से परिवहन क्षेत्र में कम कार्बन उत्सर्जन होने की उम्मीद है।
 - भारत [इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिकतम उपयोग, इथेनॉल सम्मिश्रण को वर्ष 2025 तक 20% तक पहुँचाने](#) और यात्री व माल ढुलाई के लिये सार्वजनिक परिवहन मॉडल में एक मज़बूत बदलाव की इच्छा रखता है।
- नमिन-आधार, टिकाऊ भविष्य और जलवायु-अनुकूल शहरी विकास स्मार्ट सिटी पहल को ऊर्जा और संसाधन दक्षता बढ़ाने के लिये शहरों की एकीकृत योजना, प्रभावी ग्रीन बिल्डिंग कोड तथा अभिनव ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में तेज़ी से विकास से प्रेरित होगी।
- औद्योगिक क्षेत्र का विकास ['आत्मनिर्भर भारत'](#) और ['मेक इन इंडिया'](#) के परिप्रेक्ष्य में जारी रहेगा।
- भारत [प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार \(PAT\)](#) योजना, [राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन](#), वदियुतीकरण बढ़ाने, सामग्री दक्षता बढ़ाने और रीसाइक्लिंग एवं उत्सर्जन को कम करने के तरीकों से ऊर्जा दक्षता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

शुद्ध शून्य लक्ष्य:

- इसे कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा।
- बल्कि यह एक ऐसा देश है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और हटाने से होती है।
 - इसके अलावा वनों जैसे अधिक कार्बन सक्ति बनाकर उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है।

- जबकवातावरण से गैसों को हटाने के लिये कार्बन कैपचर और स्टोरेज जैसी भविष्य की तकनीकों की आवश्यकता होती है।
- 70 से अधिक देशों ने सदी के मध्य यानी वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य बनने का दावा किया है।
- भारत ने [COP-26 शिखर सम्मेलन](#) में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का वादा किया है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न: 'इच्छति राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान' शब्द को कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? (2016)

- युद्ध प्रभावति मध्य-पूर्व से शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये यूरोपीय देशों द्वारा की गई प्रतजिजा
- जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिये विश्व के देशों द्वारा उल्लिखति कार्य योजना
- एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना में सदस्य देशों द्वारा योगदान की गई पूंजी
- सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में दुनिया के देशों द्वारा उल्लिखति कार्ययोजना

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- 'इच्छति राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान', UNFCCC के तहत पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिये व्यक्त की गई प्रतबिद्धता को बताता है।
- CoP-21 में दुनिया भर के देशों ने सार्वजनिक रूप से उन कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार की, जिन्हें वे अंतरराष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत करियान्वयति करना चाहते थे। राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दशा में अग्रसर है जो "वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिये तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमति करने के प्रयासों को बढ़ावा देता है और इस शताब्दी के उत्तरार्द्ध में नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। **अतः विकल्प (b) सही है।**

प्रश्न: जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की पार्टियों के सम्मेलन (CoP) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा व्यक्त की गई प्रतबिद्धताएँ क्या हैं? (मुख्य परीक्षा, 2021)

स्रोत: द हिंदू

ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं हेतु नियामक ढाँचा

प्रलिमिंस के लिये:

सेबी, ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता, बॉण्ड ऋण।

मेन्स के लिये:

ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं के लिये एक नियामक ढाँचे की आवश्यकता।

चर्चा में क्यों?

[भारतीय प्रतभित और वनिमिय बोर्ड \(सेबी\)](#) ने ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं के लिये एक नियामक ढाँचा पेश किया है ताकि उनके संचालन को सुव्यवस्थति किया जा सके।

- **ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता (OBPPs)** भारत में नगिमति कंपनियौ होंगी और उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के डेब्ट सेगमेंट में स्टॉक ब्रोकर के रूप में खुद को पंजीकृत करना होगा।

वनियामक ढाँचे की आवश्यकता:

■ नए नयिम:

- स्टॉक एक्सचेंज के डेब्ट सेगमेंट में स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकरण करने के बाद एक इकाई को OBPP के रूप में कार्य करने के लिये एक्सचेंज में आवेदन करना होगा।
- नए नयिमों में ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिये सेबी से स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
- जो 9 नवंबर 2022 से पहले पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे तीन महीने की अवधि के लिये ऐसा करना जारी रखेंगे।
- लोगों को समय-समय पर सेबी द्वारा नरिदषिट पंजीकरण की शर्तों का पालन करना होगा।
- सभी संस्थाओं को न्यूनतम प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्हें अपने हतियों संबंधी टकराव के सभी मामलों का भी खुलासा करना होगा, जो संबंधित पक्षों के साथ उनके लेनदेन या लेनदेन से उत्पन्न होते हैं।

बॉण्ड बाज़ार

■ बॉण्ड:

- बॉण्ड कंपनियों द्वारा जारी कॉर्पोरेट ऋण की इकाइयाँ हैं और व्यापार योग्य संपत्ति के रूप में प्रतभूतकृत हैं।
- एक बॉण्ड को एक नश्चिति आय साधन के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि बॉण्ड पारंपरिक रूप से देनदारों को एक नश्चिति ब्याज दर (कूपन) का भुगतान करते हैं।
- परिवर्तनीय या अस्थायी ब्याज दरें भी अब काफी आम हैं।
- बॉण्ड की कीमतें ब्याज दरों के साथ विपरीत रूप से सहसंबद्ध होती हैं: जब दरें बढ़ती हैं, तो बॉण्ड की कीमतें गिरती हैं और जब दरें गिरती हैं, तो बॉण्ड की कीमतें बढ़ती हैं।

■ बॉण्ड के प्रकार:

○ परिवर्तनीय बॉण्ड:

- नयिमति बॉण्ड के विपरीत जो बॉण्ड परपिक्वता पर वमिचति होते हैं उनमें एक परिवर्तनीय खरीदार को जारीकर्त्ता कंपनी के बॉण्ड को शेयरों में बदलने का अधिकार या दायित्व देता है।
- इसकी एक नश्चिति अवधि होती है और पूर्व नरिधारति अंतराल पर समय-समय पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।

○ नश्चिति कूपन दर बॉण्ड:

- इस प्रकार के बॉण्ड में ब्याज जारी करने की तारीख से तय किया जाता है। अधिकांश कॉर्पोरेट और सरकारी बॉण्ड नश्चिति कूपन दर के होते हैं जो ब्याज या कूपन वमिचन की तथितिक वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक रूप से प्रदान किये जाते हैं।

○ फ्लोटिंग कूपन रेट बॉण्ड (FRB):

- इन बॉण्डों में परपिक्वता की तारीख तक कूपन दर में पूर्वनरिधारति समय पर उतार-चढ़ाव होता रहता है। यहाँ ब्याज दर बेंचमार्क पर नरिभर करती है जिसका पालन वह प्रत्येक कूपन भुगतान में कूपन दर नरिधारति करने के लिये करता है। FRB बॉण्ड के मामले में कूपन दर टी-बलि यीलड पर नरिभर करती है।

○ शून्य कूपन बॉण्ड:

- ये वे बॉण्ड होते हैं जहाँ जारीकर्त्ता परपिक्वता तथितिक धारक को कोई कूपन भुगतान प्रदान नहीं करता है। यहाँ बॉण्ड अंकति मूल्य राशि से कम और परपिक्वता की तारीख पर जारी किये जाते हैं। बॉण्ड को अंकति मूल्य की राशि पर भुनाया जाता है। यहाँ रडिमपशन प्राइस (रडिमपशन प्राइस वह मूल्य है जिस पर जारी करने वाली कंपनी अपनी परपिक्वता तथिति से पहले नविशकों से बॉण्ड की पुनरखरीद करेगी) और इश्यू प्राइस के बीच का अंतर एक नविशक के लिये रटिर्न है। भारत में ट्रेज़री-बलि शून्य-कूपन बॉण्ड हैं।

○ संचयी कूपन दर बॉण्ड:

- ये बॉण्ड कूपन दर के साथ जारी किये जाते हैं लेकिन कूपन का भुगतान रडिमपशन/मोचन के समय किये जाता है। आमतौर पर कॉर्पोरेट्स इस तरह के बॉण्ड जारी करते हैं।

○ मुद्रास्फीति अनुक्रमति बॉण्ड:

- ये बॉण्ड मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह मुख्य रूप से सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं। यहाँ कूपन रेट मुद्रास्फीति दर पर नरिभर है। आमतौर पर कूपन दर मुद्रास्फीति दर पर प्रदान की गई अतिरिक्त दर के बराबर होती है।

○ सॉवरेन गोलड बॉण्ड (SGB):

- भारतीय रज़िर्व बैंक के अनुसार, SGBs सरकारी प्रतभूतयिँ हैं जिन्हें ग्राम सोने में दर्शाया गया है।
- ये भौतिक सोना धारण करने के विकल्प हैं। नविशकों को नरिगम मूल्य का भुगतान नकद में करना होता है और परपिक्वता पर बॉण्ड को नकद में भुनाया जाएगा।

■ बॉण्ड बाज़ार:

- बॉण्ड बाज़ार मोटे तौर पर ऐसे बाज़ार का वर्णन करता है जहाँ नविशक ऋण प्रतभूतयिँ खरीदते हैं जो सरकारी संस्थाओं या नगिमों द्वारा बाज़ार में लाई जाती हैं।
- राष्ट्रीय सरकारें आमतौर पर बॉण्ड से प्राप्त आय का उपयोग बुनियादी ढाँचे में सुधार और ऋण चुकाने के लिये करती हैं।
- कंपनयिँ संचालन को बनाए रखने, अपने उत्पाद को बढ़ाने या अपनी शाखाओं का वस्तितार करने हेतु आवश्यक पूंजी जुटाने के लिये बॉण्ड जारी करती हैं।
- बॉण्ड या तो प्राथमिक बाज़ार में जारी किये जाते हैं, जो नए ऋण को रोल आउट करते हैं या द्वितीयक बाज़ार में कारोबार करते हैं, जिसमें नविशक दलालों या अन्य तृतीय पक्ष के माध्यम से मौजूदा ऋण खरीद सकते हैं।

■ ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म:

- SEBI के अनुसार, यह एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या एक इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म के अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, जिस पर ऋण प्रतभूतियों को सूचीबद्ध किया जाता है या सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव दिया जाता है और लेन-देन किया जाता है।
 - ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता का अर्थ है **ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के प्लेटफॉर्म का संचालन करता है या प्रदान करता है।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाज़ार में 'राजकोष बलि (ट्रेज़री बलि)' और 'भारत सरकार के ऋण बॉण्ड' में निवेश कर सकते हैं।
2. 'बातचीत से तय लेन-देन प्रणाली-आर्डर मलिन प्रणाली (नगोशाएिटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग)' भारतीय रज़िर्व बैंक का सरकारी प्रतभूत व्यापारिक मंच है।
3. 'सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ लिमिटेड' का भारतीय रज़िर्व बैंक और बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- RBI ने खुदरा निवेशकों को सीधे रज़िर्व बैंक के माध्यम से सरकारी प्रतभूत बाज़ार को प्राथमिक और माध्यमिक दोनों तक ऑनलाइन पहुँच की अनुमति दी है। सरकारी प्रतभूतियों को सीधे RBI के माध्यम से खरीदने की सुविधा को **RBI रटिल डायरेक्ट** कहा जाता है। इसके तहत खुदरा निवेशक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से RBI के साथ रटिल डायरेक्ट गलिट (RDG) खाता खोल सकते हैं और उसका रखरखाव कर सकते हैं। यह खाता एकल अथवा किसी अन्य खुदरा निवेशक के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है।
- गलिट खाता बैंक द्वारा उन व्यक्तियों के लिये खोला जाता है जो सरकारी प्रतभूतियों और राजकोष बलि (ट्रेज़री बलियों) में निवेश करना चाहते हैं। वास्तव में बैंक इन उपकरणों के लिये व्यक्तियों के नाम पर एक डीमैट खाता रखते हैं। **अतः कथन 1 सही है।**
- 'बातचीत से तय लेन-देन प्रणाली-आर्डर मलिन प्रणाली (नगोशाएिटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग-NDSOM)' भारतीय रज़िर्व बैंक का सरकारी प्रतभूत व्यापारिक मंच है। **अतः कथन 2 सही है।**
- सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ लिमिटेड (CDSL), मुंबई में स्थित पहली सूचीबद्ध भारतीय केंद्रीय प्रतभूत डिपॉज़िटरी है। CDSL को BSE लिमिटेड द्वारा अग्रणी बैंकों जैसे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, HDFC बैंक तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ संयुक्त रूप से प्रवर्तित किया जाता है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. 'वाणिज्यिक पत्र (commercial paper)' अल्पकालीन प्रतभूत रिहति वचन पत्र है।
2. 'जमा प्रमाणपत्र' भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा किसी नगिम को नरिगत किया जाने वाला एक दीर्घकालीन प्रपत्र है।
3. 'कॉल मनी' एक अल्पकालिक वित्त है जिसका उपयोग इंटरबैंक लेन-देन केलिये किया जाता है।
4. 'शून्य-कूपन बॉण्ड ('Zero-Coupon Bonds') अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा नगिमों को नरिगत किये जाने वाले ब्याज-सहित अल्पकालीन बॉण्ड हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न. परिवर्तनीय बॉण्ड के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

1. चूँक बॉण्ड को इक्विटी के लिये बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉण्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं।
2. इक्विटी के लिये बदलने का विकल्प बॉण्ड-धारक को बढ़ती उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता (इंडेक्सेशन) की मात्रा प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

स्रोत: मटि

भारत में रूसी बैंको के वोस्ट्रो खाते

प्रलिमिंस के लिये:

वदिश व्यापार, मुद्रा मूल्यहरास और मूल्यवृद्धि, वैश्विक प्रतर्बिध, भुगतान संतुलन

मेन्स के लिये:

भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक प्रतर्बिधों का प्रभाव, रुपए में व्यापार करने के लाभ और चुनौतियाँ, अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने भारत और रूस के बीच व्यापार हेतु रुपए में भुगतान करने के लिये दो भारतीय बैंकों (यूको बैंक और इंडसइंड बैंक) में नौ विशेष वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी है।

- रूस के दो सबसे बड़े बैंक- 'Sberbank' और 'VTB' बैंक ऐसे पहले वदिशी ऋणदाता हैं जिन्हें भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेन-देन करने की मंजूरी मिली है।
- वोस्ट्रो खाता नोस्ट्रो खाता का एक अन्य नाम है। यह एक बैंक द्वारा नयोजित खाता है जो ग्राहकों को दूसरे बैंक की ओर से पैसा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि:

- जुलाई 2022 में RBI ने **वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिये रुपए में अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिये** एक क्रियावधिकी अनावरण किया था, जिसमें भारत द्वारा नरियात पर जोर दिया गया था, साथ ही रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में पहचान दिलाने के लिये किया गया था।
- इसके माध्यम से रूस जैसे प्रतर्बिध-प्रभावित देशों के साथ व्यापार को सक्रम करने की भी आशा है।
- भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा तय क्रियावधिकी अनुसार, भागीदार देशों के बैंक विशेष रुपया वास्ट्रो खाता खोलने के लिये भारत में अधिकृत बैंकों से संपर्क कर सकते हैं। तब अधिकृत बैंक को ऐसी व्यवस्था के वरिण के साथ केंद्रीय बैंक से अनुमोदन लेना होगा।

नोस्ट्रो खाता (Nostro Accounts)

- नोस्ट्रो खाता का तात्पर्य एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में खोले गए खाता से है। इससे ग्राहकों को किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसा जमा करने की सुविधा मिलती है। इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब किसी बैंक की वदिश में कोई शाखा नहीं होती है। नोस्ट्रो एक लैटिनि शब्द है जिसका अर्थ "हमारा (ours)" होता है।
 - मान लीजिये कि बैंक "A" की रूस में कोई शाखा नहीं है लेकिन बैंक "B" की शाखा रूस में है। रूस में अपनी जमा राशिप्राप्त करने के लिये बैंक "A" बैंक "B" में नोस्ट्रो खाता खोलेगा।
 - अब यदि रूस में कोई ग्राहक "A" को पैसा भेजना चाहता है तो वह इसे "B" बैंक में खुले "A" के खाते में जमा कर सकता है। "B" बैंक

इस पैसे को "A" के खाते में स्थानांतरित कर देगा।

- जमा खाते और नोस्ट्रो खाते के बीच मुख्य अंतर यह है कि जमा खाते व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के पास होता है, जबकि वदेशी संस्थानों के पास नोस्ट्रो खाता होता है।

वोस्ट्रो खाता (Vostro Accounts):

- इस शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ- तुम्हारा (yours) होता है।
- खाता खोलने वाले बैंक के लिये नोस्ट्रो खाता, एक वोस्ट्रो खाता होता है।
 - उपर्युक्त उदाहरण में बैंक "B" में खुले खाते को इस बैंक के लिये वोस्ट्रो खाता कहा जाएगा। वोस्ट्रो खाता में खाताधारक के बैंक की ओर से भुगतान स्वीकार किया जाता है।
- यदि कोई व्यक्ति वोस्ट्रो खाते में पैसा जमा करता है तो यह खाताधारक के बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खाते, वदेशी मूल्यवर्ग में खोले जाते हैं।
- वोस्ट्रो खाते के माध्यम से घरेलू बैंक, वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताओं वाले ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- वोस्ट्रो खाता सेवाओं में वायर ट्रांसफर नष्टिपादति करना, वदेशी वनिमिय करना, जमा और नकिसी करना व अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तेज़ी लाना शामिल है।

रुपया भुगतान तंत्र:

- परचिय:
 - भारत में अधिकृत डीलर बैंकों को रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी गई है (एक खाता जो एक अधिकृत बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है)।
 - इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातक भारतीय रुपए में भुगतान करेंगे, इसमें वदेशी विक्रेता से माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिये चालान भागीदार देश के अधिकृत बैंक के वशिष वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाएगा।
 - तंत्र का उपयोग करने वाले भारतीय निर्यातकों को भागीदार देश के अधिकृत बैंक के नामति वशिष वोस्ट्रो खाते में जमा शेष राशि से निर्यात का भुगतान भारतीय रुपए में किया जाएगा।
 - भारतीय निर्यातक उपर्युक्त रुपए भुगतान तंत्र के माध्यम से वदेशी आयातकों से भारतीय रुपए में निर्यात के लिये अग्रमि भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
 - निर्यात के लिये अग्रमि भुगतान की ऐसी कसि भी प्राप्ति की अनुमति देने से पहले भारतीय बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन खातों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग पहले से ही नष्टिपादति निर्यात आदेशों/पाइपलाइन में निर्यात भुगतान से उत्पन्न भुगतान दायित्वों के लिये किया जाता है।
 - वशिष वोस्ट्रो अकाउंट में शेष राशि का उपयोग नमिनलखिति के लिये किया जा सकता है: परयोजनाओं और नविशों के लिये भुगतान, निर्यात/आयात अग्रमि प्रवाह प्रबंधन, सरकारी प्रतभित्तियों में नविश आदि।
- मौजूदा तंत्र:
 - यदि कोई कंपनी निर्यात या आयात करती है, तो लेन-देन (नेपाल और भूटान जैसे देशों को छोड़कर) हमेशा एक वदेशी मुद्रा में होता है।
 - इसलिये आयात के मामले में भारतीय कंपनी को वदेशी मुद्रा में भुगतान करना पडता है (मुख्य रूप से डॉलर में और इसमें पाउंड, यूरो, येन आदि मुद्राएँ भी शामिल हो सकती हैं)।
 - निर्यात के मामले में भारतीय कंपनी को वदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है और कंपनी उस वदेशी मुद्रा को रुपए में परिवर्तित कर देती है क्योंकि उसे ज़्यादातर मामलों में अपनी ज़रूरतों के लिये रुपए की आवश्यकता होती है।

मौजूदा तंत्र के लाभ:

- विकास को बढ़ावा:
 - यह वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा और भारतीय रुपए के प्रति वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचिका समर्थन करेगा।
- स्वीकृत देशों के साथ व्यापार:
 - जब से रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, भुगतान की समस्या के कारण रूस के साथ व्यापार लगभग ठप है।
 - RBI द्वारा शुरू किये गए व्यापार सुविधा तंत्र के परिणामस्वरूप रूस के साथ भुगतान संबंधी मुद्दे को हल करना आसान हो गया है।
- वदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव:
 - इस कदम से वदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का जोखिम भी कम होगा, वशिष रूप से यूरो-रुपया सममूल्यता को देखते हुए।
- रुपए की गरिवट पर नयितरण:
 - इस तंत्र का उद्देश्य रुपए में लगातार गरिवट के दौरान व्यापार प्रवाह हेतुरुपए में नपिटान को बढ़ावा देकर वदेशी मुद्रा की मांग को कम करना है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न: रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? (2015)

- (a) रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त करना
- (b) रुपए के मूल्य को बाज़ार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना
- (c) रुपए को अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता के रूप में अनुज्ञा प्रदान करना
- (d) भारत में मुद्राओं के लिये अंतरराष्ट्रीय बाज़ार विकसित करना

उत्तर: (c)

स्रोत: मटि

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य

प्रलम्बित के लिये:

जलवायु परिवर्तन, जीवाश्म ईंधन, खाद्य असुरक्षा, हीटवेव, जूनोटिक रोग, संचारी रोग, WHO

मेन्स के लिये:

जलवायु परिवर्तन का वैश्विक स्वास्थ्य पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लांसेट काउंटडाउन रिपोर्ट: हेल्थ एट द मर्सी ऑफ फॉसिल फ्यूलस के अनुसार [जीवाश्म ईंधन](#) पर निर्भरता से बीमारी, [खाद्य असुरक्षा](#) और गर्मी से संबंधित अन्य बीमारियों के जोखिम में वृद्धि हो रही है।

रिपोर्ट के नष्कर्ष:

- स्वास्थ्य पर प्रभाव:
 - जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य के सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों को प्रभावित करता है- स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त भोजन और सुरक्षित आश्रय।
- हीटवेव से प्रभावित जनसंख्या:
 - तेज़ी से बढ़ते तापमान ने लोगों, विशेष रूप से कमज़ोर वर्ग (65 वर्ष से अधिक उम्र और एक वर्ष से कम उम्र) को अधिक प्रभावित किया है जिससे वर्ष 1986-2005 की तुलना में वर्ष 2021 में 3.7 बिलियन से अधिक लोग [हीटवेव](#) से प्रभावित हुए हैं।
- संक्रामक रोग:
 - बदलती जलवायु संक्रामक रोग के प्रसार को प्रभावित कर रही है, जिससे उभरती बीमारियों और सह-महामारी का खतरा बढ़ रहा है।
 - उदाहरण के लिये यह [रिकॉर्ड करता है](#) कि तीव्र जल वबिरियो रोगजनकों के संचरण के लिये अधिक अनुकूल हो रहा है।
 - मलेरिया संचरण के लिये उपयुक्त महीनों की संख्या अमेरिका और अफ्रीका के हाइलैंड क्षेत्रों में बढ़ी है।
 - [वशिव स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#) ने भविष्यवाणी की है कि 2030 और 2050 के बीच, जलवायु परिवर्तन से [कृषि, मलेरिया, दस्त](#) और गर्मी के कारण प्रतिवर्ष लगभग **2,50,000** अतिरिक्त मौतें होने की आशंका है।
- खाद्य सुरक्षा:
 - जलवायु परिवर्तन से [खाद्य सुरक्षा](#) का हर आयाम प्रभावित हो रहा है।
 - उच्च तापमान सीधे फसल की पैदावार को खतरे में डालता है, कई बार फसलों को विकसित करने के लिये मौसम कम पड़ जाता है।
 - **चरम मौसम की घटनाएँ** आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करती हैं, जिससे खाद्य की उपलब्धता, पहुँच, स्थिरता और उपयोग में कमी आ जाती है।
 - कोविड-19 महामारी के दौरान अल्पपोषण की व्यापकता में वृद्धि हुई और वर्ष 2019 की तुलना वर्ष 2020 में 161 मिलियन से अधिक लोगों को भूख का सामना करना पड़ा।
 - यह स्थिति अब [यूक्रेन पर रूस के आक्रमण](#) के कारण और भी गंभीर हो गई है।
- जीवाश्म ईंधन:

अधिकार नहीं है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों को इस तरह के धर्मांतरण की जाँच के लिये कड़े कदम उठाने के निर्देश देने को कहा।
- न्यायालय ने कहा है कि **जबरन धर्मांतरण बेहद खतरनाक है** और इससे देश की सुरक्षा व धर्म एवं अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण करता है (जो कि उसके धर्म के सिद्धांतों को प्रसारित करने के सिद्धांत के प्रतिकूल है) तो यह देश के **नागरिकों को प्रदत्त अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधिकार को कमजोर करेगा**।

धर्मांतरण:

- धर्मांतरण का तात्पर्य किसी दूसरे धर्म के बहिष्कार के क्रम में किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के विश्वासों को अपनाना है।
- इस प्रकार "धर्मांतरण" में **किसी संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ जुड़ना शामिल होता है**।
 - उदाहरण के लिये ईसाई बैप्टिस्ट से मेथोडिस्ट या कैथोलिक में और मुस्लिम शिया से सुन्नी में।
- कुछ मामलों में धर्मांतरण "धार्मिक पहचान के परिवर्तन और विशेष अनुष्ठानों के परिवर्तन का प्रतीक होता है"।

धर्मांतरण वरिधी कानूनों की आवश्यकता:

- **धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं:**
 - संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
 - धर्मांतरण के तहत व्यक्ति किसी अन्य धर्म वाले को अपने धर्म में शामिल करने का प्रयास करता है।
 - अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार का विस्तार **धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के अर्थ में नहीं किया जा सकता है**।
 - धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण करने वाले और परिवर्तित होने की मांग करने वाले व्यक्ति के लिये समान रूप से उपलब्ध है।
- **कपटपूर्ण विवाह:**
 - हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिसमें लोग अपने धर्म को छुपाकर या गलत तरीके से दूसरे धर्म के व्यक्तियों के साथ शादी करते हैं तथा शादी के बाद ऐसे दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिये मजबूर करते हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:**
 - हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे मामलों का न्यायिक संज्ञान लिया है।
 - न्यायालय के अनुसार, इस तरह की घटनाएँ **केवल धर्मांतरण व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं** बल्कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के भी खिलाफ हैं।

भारत में धर्मांतरण वरिधी कानूनों की स्थिति:

- **संविधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद-25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है तथा सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है, हालाँकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
 - कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को जबरन लागू नहीं करेगा और इस प्रकार व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी धर्म का पालन करने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये।
- **मौजूदा कानून:** धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित या वनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है।
 - हालाँकि वर्ष 1954 के बाद से कई मौकों पर धार्मिक रूपांतरणों को वनियमित करने हेतु संसद में नज्दी वधियक पेश किये गए।
 - इसके अलावा वर्ष 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा था कि संसद के पास धर्मांतरण वरिधी कानून पारित करने की वधियाँ शक्ति नहीं है।
 - वर्षों से कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किये गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने हेतु 'धार्मिक स्वतंत्रता' संबंधी कानून बनाए हैं।
- **वभिन्न राज्यों में धर्मांतरण वरिधी कानून:**
 - **पछिले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने** बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किये गए धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिये 'धार्मिक स्वतंत्रता' कानून लागू किये हैं।
 - उड़ीसा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1967; गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003; झारखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2017; उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2018; कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2021।

धर्मांतरण वरिधी कानूनों से संबद्ध मुद्दे:

- **अनश्चिति और अस्पष्ट शब्दावली:**
 - गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन जैसी अनश्चिति और अस्पष्ट शब्दावली इसके दुरुपयोग हेतु एक गंभीर अवसर प्रस्तुत करती है।
 - यह काफी अधिक अस्पष्ट और व्यापक शब्दावली है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण से परे भी कई वधियों को कवर करती है।
- **अल्पसंख्यकों का वरिधि:**

- एक अन्य मुद्दा यह है कि वर्तमान धर्मांतरण वरिधी कानून धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु धर्मांतरण के नषिध पर अधिक ध्यान केंद्रति करते हैं ।
- हालाँकि धर्मांतरण नषिधात्मक कानून द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली व्यापक भाषा का इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भेदभाव करने के लयि कयिा जा सकता है ।
- **धर्मनरिपेक्षता वरिधी:**
 - ये कानून भारत के धर्मनरिपेक्ष ताने-बाने और हमारे समाज के आंतरकि मूल्यों व कानूनी व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय धारणा के लयि खतरा पैदा कर सकते हैं ।

आगे की राह

- ऐसे कानूनों को लागू करने के लयि सरकार को यह सुनशिचति करना आवश्यक है कि वे किसी व्यक्ति के मौलकि अधिकारों को सीमति न करते हों और न ही इनसे राष्ट्रीय एकता को क्षतिपिहुँचती हो; ऐसे कानूनों के मामले में स्वतंत्रता एवं दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण के मध्य संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/16-11-2022/print>

